संख्या-325 /2015-4753/नौ-5-15-84बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

विषय:: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद कन्नौज की द्वितीय पुनरीक्षित सीवरेज योजना फेज-1 के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-204/नागर-2/033-0304/15 दिनांक 28.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज की द्वितीय पुनरीक्षित सीवरेज योजना हेतु फेज-1 के निर्माण की पुनरीक्षित अनुमानित लागत रू0 5082.35 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2015 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4672.40 लाख (रू0 छियालीस करोड़ बहत्तर लाख चालीस हज़ार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना की मूल लागत।	परियोजना की प्रथम पुनरीक्षित लागत।	परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत।	परियोजना की लागत में वृद्वि ।
रू0 1229.35	रू0 2263.24	रू0 4672.40	रू0 2409.16

(1) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखें शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(4) सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(5) स्वीकृत किये जा रहे प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि अवमुक्त नही हुई तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्यो की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

go finance mangal font

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-ई-8-2738/दस-2015, दि0 19 अक्टूबर 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-325 /2015-4753(1)/नौ-5-15-84बज़ट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/कन्नौज।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7- मुख्य अभियंता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
8- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कन्नौज ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

shashnadesh.up.nic.in/intra